

न्यायालय : जिला न्यायाधीश अमरवाडा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
अमरवाडा, जिला— छिंदवाडा म0प्र0

प्रतिलिपि आदेश

Registration No.RCA/27/2022
Filling No. 352/2022
CNR NO. MP 28070015072022
Order Date-07-08-2023

पक्षकारों के नाम:-

- 1- श्रीमति झीनि बाई पित स्व. मलूका गोंड, उम्र-75 वर्ष,
- 2- श्रीमति इमलिया पति बिसनू गौली, उम्र-47 वर्ष,
दोनों निवासी- ग्राम केकड़ा पो0 बड़ेला थाना व तहसील अमरवाडा
जिला छिन्दवाडा, म0प्र0।

-----अपीलार्थी।

विरुद्ध

- 1- भागवती पति कैलाश गौली, उम्र-53 वर्ष
निवासी-ग्राम बोहनाखैरी तहसील व जिला छिन्दवाडा
- 2- नौलराम पिता स्व. मलूका गौली, उम्र-41 वर्ष
- 3- रघुनंदन पिता नौलराम गौली, उम्र-27 वर्ष
- 4- राकलेश पिता नौलराम गौली, उम्र-23 वर्ष
क्र. 2 लगायत 4 निवासी-ग्राम केकड़ा तहसील अमरवाडा
जिला छिन्दवाडा
- 5- महेश बजे पिता डी.सी. बजे
साकिन-अशोक गार्डन मुंबई थाना तह. व जिला मुंबई
- 6- भू-अर्जन अधिकारी अमरवाडा
तहसील अमरवाडा, जिला छिन्दवाडा म.प्र.
- 7- शाखा प्रबंधक, सेट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अमरवाडा
तहसील अमरवाडा जिला छिन्दवाडा
- 8- म.प्र. शासन द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय छिन्दवाडा
जिला छिन्दवाडा म.प्र.

-----उत्तरवादीगण।

07-08-2023

अपीलार्थी अनुपस्थित।

उत्तरवादी क्र. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 पूर्व से एकपक्षीय।

उत्तरवादी क्र. 5 द्वारा शशिराम सूर्यवंशी अधिवक्ता।

प्रकरण अपीलार्थी की अनुपस्थिति पर विचार हेतु नियत है।

अपीलार्थी को बार-बार पुकार लगवाई गई, किंतु वह उपस्थित नहीं है और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण चायकाल पश्चात् पेश हो।

सही /—
(संदीप कुमार पाटिल)
जिला न्यायाधीश अमरवाडा की
न्यायालय के अति. न्यायाधीश
अमरवाडा जिला— छिंदवाडा

पुनश्च:-

अपीलार्थी अनुपस्थित।
उत्तरवादी क्र. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 पूर्व से एकपक्षीय।
उत्तरवादी क्र. 5 द्वारा शशिराम सूर्यवंशी अधिवक्ता।
प्रकरण अपीलार्थी की अनुपस्थिति पर विचार हेतु नियत है।
बार-बार निरंतर अंतरालों के बाद पुकार लगवाए जाने के बाद भी अपीलार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक-17-01-2023 से अंतिम तर्क हेतु नियत किया जा रहा है किंतु आज को भी अपीलार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी को बार-बार निरंतर अंतरालों के बाद पुकार लगवाये जाने के बाद भी वह उपस्थित नहीं है और नहीं उनकी ओर से कोई हितप्रतिनिधि उपस्थित है। अब समय 4:45 बज चुका है, अपीलार्थी की प्रतीक्षा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलार्थी पक्ष की प्रकरण में रुचि दर्शित नहीं होती है। अतः अतः प्रकरण अदम पैरवी में आदेश 41 नियम 17 सीपीसी आधार पर निरस्त किया जाता है।
व्यय तालिका बनायी जावे।
प्रकरण का परिणाम पंजी व सी.आई.एस. साफ्टवेयर में दर्ज कर प्रकरण विधिवत् अभिलेखागार भेजा जाए।

सही /—
(संदीप कुमार पाटिल)
जिला न्यायाधीश अमरवाडा की
न्यायालय के अति. न्यायाधीश
अमरवाडा जिला— छिंदवाडा